रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2001/श्रावण 25, 1923

No. 414] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2001/SRAVANA 25, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2001

सा. का. नि. 594(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (साधारण सेवा शर्तें) नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (साधारण सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. तेल उद्योग बोर्ड कर्मचारी (साधारण सेवा शर्तें) नियम, 1984 में,—

(क) नियम 16 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) बोर्ड का कोई कर्मचारी, यदि वह समूह 'क' और समूह 'ख' सेवा में अथवा पद पर है (और वह पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवा में आ गया था) पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और सभी अन्य मामलों में पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, समुचित प्राधिकारी को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा :

परंतु यह कि समुचित प्राधिकारी के पास यह विकल्प रहेगा कि वह निलंबनाधीन किसी कर्मचारी को जो इस खंड के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता है, अनुज्ञा रोक ले।"

(ख) नियम 16 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) कर्मचारी के बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा। इस नियमों के अधीन सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी की आशयित सेवानिवृत्ति की तारीख को अर्हक सेवा में पांच वर्ष की वृद्धि, इस शर्त के अधीन रहते हुए की जाएगी कि कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा, किसी भी दशा में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होती है और यह उसकी अधिवर्षिता की तारीख से परे नहीं हो जाती है।"

[सं. जी-35012/2/2001-वित्त II]

रवि.सक्सेना, संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 12 जुलाई, 1984 को अधिसूचना सं. सा. का. नि. 509(अ) द्वारा किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा. का. नि. सं. 23(अ) तारीख 12-1-1988, सा. का. नि. सं. 24(अ) तारीख 13-1-1988; सा. का. नि. सं. 372(अ) तारीख 30-6-1988 और सा. का. नि. सं. 505(अ) तारीख 27-8-1998 द्वारा किए गए।

87

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2001

G.S.R. 594(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974)), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Oil Industry Development Board Employees (General Condition of Service) Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees (General Condition of Service) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil Industry Development Board Employees' (General Condition of Service) Rules, 1984—

(a) For sub-rule (3) of rule 16, the following shall be substituted, namely :—

"(3) An employee of the Board may , by giving notice of not less than three months in writing to the appropriate authority, retire, from service after he has attained the age of fifty years, if he is in Group 'A' or Group 'B' service or post, (and had entered in service before attaining the age of thirty-five years), and in all other cases after he has attained the age of fifty-five years :

Provided that it shall be open to the appropriate authority to withhold the permission to an employee under suspension who seeks to retire under this clause."

(b) For sub-rule (4) of rule 16, the following shall be substituted, namely :—

"(4) At any time after the employee has completed 20 years qualifying service, he may, by giving a notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service. The qualifying service as on date of intended retirement of the employee retiring under these rules shall be increased by the period not exceeding five years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by the employee does not in any case exceed thirty-three years and it does not take him beyond the date of superannuation."

[No. G-35012/2/2001-Fin. II]
RAVI SAXENA, Jt. Secy. & Financial Adviser

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 12th July, 1984, vide Notification No. GSR 509(E) and subsequently amended vide GSR 23(E) dated 12-1-1988, GSR 24(E) dated 13-1-1988, GSR 372(E) dated 30-6-1988 and GSR 505(E) dated 27-8-1998.

Printed by the Manager, Go... and Published by ...ad, Mayapuri, New Delhi-110064 u... ...cations, Delhi-110054.